दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथिः 14 मार्च 2023

<u>जमानत आवेदन</u> <u>3051/2022</u>

संजय मलिक @ संत सेवक दास ....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री कृष्ण कुमार, श्री शिवम बेदी, श्री एस.पी नांगिया और सुश्री गार्गी सिंह, अधिवक्तागण।

बनाम

राज्य एवं अन्य ...प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री तरंग श्रीवास्तव, राज्य के लिए अति.लो.अभि. के साथ उप-निरीक्षक अजय, पुलिस थाना : नेब सराय ।

कोरम :

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनूप जयराम भंभानी

<u>निर्णय</u>

<u>न्या., अनूप जयराम भंभानी</u>

1. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ('दं.प्र.सं.) की धारा 482 की सहपठित धारा 439 के तहत दायर वर्तमान याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने थाना नेब सराय में भारतीय दंड संहिता, 1860 (भा.दं.सं) की धारा 354/376 के तहत दर्ज मामला प्राथमिकी संख्या 216/2022 दिनांक 06.03.2022 में नियमित जमानत देने की मांग की हैं|
2. इस याचिका पर नोटिस 13.10.2022 को जारी किया गया था|
3. दिनांक 28.10.2022 और 16.11.2022 की स्थिति आख्या दाखिल की गई है। जेल अधीक्षक से दिनांक 16.02.2023 की नामावली प्राप्त हुई है|
4. इस मामले में दिनांक 04.05.2022 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था; इसके पश्चात् याचिकाकर्ता के खिलाफ 29 जुलाई, 2022 को भा.दं.सं. की धारा 354/376 के तहत आरोप तय किए गए।
5. आवश्यकतानुसार, दिनांक *24.09.2019* के दिल्ली उच्च न्यायालय व्यवहार निर्देशों के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 (1-क) के तहत अनुलग्नक-ए के रूप में शिकायतकर्ता/अभियोक्त्री को सूचना भेजी गई थी; जिसके बाद अभियोक्त्री *वीडियो* कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुई और कानूनी सहायतासलाहकार की सहायता की मांग भी की गई| *दिनांक* 16.11.2022 के आदेश द्वारा अभियोक्त्री को राज्य के खर्च पर अधिवक्ता उपलब्ध कराया गया। अभियोक्त्री, जो चेक गणराज्य का

नागरिक होने का दावा करता है, उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल होने की अनुमति मांगी जिसकी अनुमति विधिवत दी गई थी।

6. मामले की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, मामले में कुछ सुनवाई कैमरे में की गई|

7. न्यायालय ने श्री कृष्ण कुमार, याचिकाकर्ता के लिए पेश हो रहे विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ श्री तरंग श्रीवास्तव, राज्य सरकार के लिए पेश हो रहे विद्वान अति.लो.अभि. साथ ही श्री आशुतोष कौशिक, दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवाएँ समिति द्वारा अभियोक्त्री के लिए नियुक्त विद्वान अधिवक्ता को सुना| न्यायालय ने विस्तार से खुद अभियोक्त्री को भी सुना है।

8. श्री कुमार प्रस्तुत करते हैं कि हालांकि याचिकाकर्ता ने अभियोक्त्री के साथ किसी भि तरह का शारीरिक संबंध होने से होने से इनकार किया है, किसी भी मामले में, अभियोक्त्री 'बालिग़' है और उसके साथ कोई भी शारीरिक संबंध पूरी तरह से सहमति के आधार पर थे। अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि हालांकि अभियोक्त्री का आरोप है कि याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 12.10.2019 को दिल्ली के किसी एक छात्रावास में उसका यौन उत्पीड़न किया गया; और बाद में दिनांक 31.01.2020 को प्रयागराज (इलाहाबाद) में और इसके बाद 07.02.2020 को गया (बिहार) के एक होटल में उसके साथ शारीरिक संपर्क स्थापित किया| प्राथमिकी बहुत बाद में

06. 03. 2022 को दिल्ली में दर्ज की गई; और अभियोक्त्री ने न तो कोई शिकायत की और विभिन्न अन्य स्थानों पर जहां उसका आरोप है कि उसका यौन उत्पीड़न किया गया प्राथमिकी दर्ज़ कराने के लिए कोई प्रयास ही किया गया।

9. श्री कुमार प्रस्तुत करते हैं, कि हालांकि प्राथमिकी में अभियोक्त्री का आरोप है कि याचिकाकर्ता ने एक 'आध्यात्मिक गुरु' होने का नाटक करते हुए उसका लाभ उठाया, जो उसकी उसके मृत पति जिसका निधन 08 अगस्त, 2019 को हो गया था, की मृत्यु उपरान्त रस्मों को पूरा करने में उसकी मदद करेगा, यह आरोप झूठे हैं और याचिकाकर्ता ने वास्तव में उन मृत्यु उपरान्त रस्मों के द्वारा उसका मार्गदर्शन किया। इस संबंध में अभियोक्त्री के दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत 08. 03. 2022 को दर्ज किए गए बयान की ओर यह तर्क देने के लिए ध्यान आकर्षित किया जाता है कि वह कथन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अभियोक्त्री ने किस प्रकार से आरोपों को अलंकृत किया है।

10. श्री कुमार ने दिनांक 20.08.2022 को आयोजित अभियोक्त्री की जिरह की ओर भी यह इंगित करने के लिए ध्यान आकर्षित करते हैं कि याचिकाकर्ता और अभियोक्त्री के बीच आदान-प्रदान किए गए व्हाट्सएप संदेशों के प्रिंट-आउट से पता चलता है कि अभियोक्त्री ने याचिकाकर्ता के मोबाइल नंबर को अपने फ़ोन में "ठरकी गुरु" के नाम से सेव कर लिया था, जो अभियोक्त्री की बनावटी मासूमियत को झुठलाता है। अधिवक्ता ने

आगे तर्क दिया कि अभियोक्त्री ने भी सही माना कि 27.02.2022 को उसने याचिकाकर्ता से 45,000/- रुपये की मांग की, जिसे बाद में उसने यह कहकर समझाने की कोशिश की कि उसने अपने मंगेतर के सुझाव पर पैसे मांगे, ताकि याचिकाकर्ता को दिल्ली आने के लिए प्रेरित किया जा सके।

11. श्री कुमार बताते हैं कि वास्तव में 01.08.2022 को दर्ज उनकी मुख्य परीक्षा में, अभियोक्त्री ने कहा कि गया में कथित यौन संपर्क के बाद, उसने एक श्री अंसारी को उनकी मदद के लिए संदेश भेजा, जिसे बोधगया में अंसारी गेस्ट हाउस का मालिक होना कहा गया है जहां वह अक्टूबर 2019 में गई थी; इस तरह तर्क देते हुए कि अभियोक्त्री गया में लोगों से परिचित थी और वहीं पुलिस शिकायत कर सकती थी, अगर उसके आरोपों में कोई सच्चाई थी; लेकिन उसने ऐसा नहीं करने का फैसला किया क्योंकि उसके आरोप झूठे हैं।

12. याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि सभी पूर्वगामी पहलू, सबसे खराब रूप से दिखाते हैं कि याचिकाकर्ता और अभियोक्त्री के बीच शारीरिक संबंध सहमति से थे, यही कारण है कि अभियोक्त्री ने कभी कोई शिकायत नहीं की और न ही उसने किसी भी शारीरिक संबंध का विरोध किया जब उसने याचिकाकर्ता के साथ प्रयागराज, बनारस और गया तक स्वतंत्र रूप से यात्रा की।

13. परिस्थितियों में, यह प्रस्तुत किया जाता है, कि विशेष रूप से अब जबकि अभियोक्त्री का प्रति परीक्षण भी समाप्त हो चुका है, और वह दिल्ली में नहीं रह रही है और चेक गणराज्य लौट सकती है, याचिकाकर्ता को न्यायिक हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है

14. दूसरी ओर, जमानत देने का विरोध करते हुए, श्री तरंग श्रीवास्तव, विद्वान अति.लो.अभि. ने कहा कि अभियोजन पक्ष के 16 गवाहों में से केवल 08 की अब तक जांच की गई है; कि अभियोजन पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण गवाहों में से एक, रादका नाम की एक महिला, जो कि अभियोक्त्री की मित्र है, से पूछताछ की जानी बाकी है; और इसलिए इस स्तर पर याचिकाकर्ता को नियमित जमानत देना उचित नहीं होगा।

15. राज्य की ओर से आगे तर्क दिया गया है कि महज़ प्राथमिकी दर्ज करने में देरी कभी भी घातक नहीं होती है; और यह कि याचिकाकर्ता एक चालाक व्यक्ति है, जो खुद को एक आध्यात्मिक गुरु होना बताता है, और अभियोक्त्री के पति के असामयिक निधन के बाद उसकी कमजोरियों का फ़ायदा उठाया; और इसने याचिकाकर्ता को अभियोक्त्री पर प्रभुत्व का एक अधिकार दिया, जिसका उसने बेशर्मी से शोषण किया।

16. पूछे जाने पर, विद्वान अति.लो.अभि. ने कहा कि शारीरिक हमले की किसी भी घटना के समर्थन में कोई चिकित्सीय साक्ष्य नहीं है क्योंकि कभी कोई एमएलसी कराई नहीं गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष की गवाह रादका के बारे में माना जाता है कि वह चेक गणराज्य लौट

आई है, और इसलिए उसके बयान को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है।

17. अभियोक्त्री की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री कौशिक ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता गया में एक प्रभावशाली व्यक्ति है, यही कारण है कि अभियोक्त्री द्वारा उस स्थान पर कोई पुलिस शिकायत नहीं की गई; और वास्तव में, जैसा कि प्राथमिकी में बताया गया है, अभियोक्त्री याचिकाकर्ता से इतनी डरी हुई थी कि वह उसके चंगुल से बचने के लिए बिना उसे बताए मुगल सराय में ट्रेन से उतर गई। यह प्रस्तुत किया गया है कि केवल जब वह एक स्वस्थ मानसिक स्थिति में थी, तभी अभियोक्त्री ने 06.03.2022 को प्राथमिकी दर्ज करने का साहस जुटाया और याचिकाकर्ता को पकड़ने के लिए कदम उठाए।

18. इस बिंदु पर कि याचिकाकर्ता अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने में हस्तक्षेप कर सकता है, विशेष रूप से रादका के बयान में, श्री कौशिक ने कहा कि हालांकि रादका चेक गणराज्य में हैं, वहां भी उन्हें याचिकाकर्ता के इशारे पर एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा धमकाया जा रहा है।

19. उसके अनुरोध के अनुसार, न्यायालय ने अभियोक्त्री को भी विस्तार से सुना। वह बताती हैं कि याचिकाकर्ता से उनका परिचय कराने वाली रादका उनकी करीबी दोस्त नहीं थीं; कि याचिकाकर्ता ने उसे यह विश्वास दिलाने के लिए गुमराह किया कि वह हिमालय से था जबकि वह वास्तव में हरियाणा से था; कि याचिकाकर्ता ने उसे प्रलोभन के माध्यम से

20,000/- (न कि 45,000/- रुपये) रुपये का भुगतान किया ताकि वह पुलिस के पास न जाए; और यह कि शारीरिक संपर्क के सभी प्रकरण उस पर थोपे गए थे और सहमति से नहीं थे।

20. प्राथमिकी की सामग्री के सावधानीपूर्वक अवलोकन पर, आरोप पत्र, अब तक दर्ज किए गए बयान, और प्रस्तुतियाँ, जैसा कि ऊपर संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है, प्रथम दृष्टया के आधार पर, इस न्यायालय के पास जो है वह निम्नलिखित है:

20.1 माना जाता है कि अभियोक्त्री ने दिनांक 08.08.2019 को एक दुखद और असामयिक तरीके से अपने पति को खो दिया था और इसलिए एक भावनात्मक रूप से कमजोर स्थिति में थी;

20.2 माना कि, अभियोक्त्री ने याचिकाकर्ता के साथ प्रयागराज से बनारस से गया तक की यात्रा की, जो सभी हिंदू पूजा और धार्मिक सभा के स्थान हैं, अपने मृत पति का अंतिम संस्कार और रस्म करने के लिए, और एक विदेशी नागरिक होने के नाते, हिंदू संस्कारों और समारोह से अपरिचित, उसने याचिकाकर्ता पर उस त्रासदी समापन के लिए निर्भरता विकसित की जो उसने झेली थी;

20.3 हालांकि यह सच है कि उपरोक्त स्थानों की यात्रा लगभग 04 महीने की अवधि में हुई थी, और यह कहीं भी विशेष रूप से आरोप नहीं लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने अभियोक्त्री को 'बंधक' रखा था या उसे शारीरिक बल या सख्ती का इस्तेमाल करके उसके साथ यात्रा

करने के लिए मजबूर किया गया था, इस न्यायालय की राय में, न्यायालय के लिए इस स्तर पर यह कहने में सक्षम होने के लिए कि कथित यौन संबंध सहमति से थे केवल यह अकेले अभियोक्त्री की मन:स्थिति का निर्धारक नहीं होगा|

20.4 हालांकि शारीरिक संबंधों की पहली घटना कथित तौर पर दिल्ली के एक छात्रावास में हुई थी, उस घटना में कथित कृत्य की प्रकृति बलात्कार नहीं थी, और किसी भी मामले में उस कृत्य के संबंध में अभियोक्त्री की चुप्पी को अधिक गंभीर यौन संपर्क के लिए एक लाइसेंस नहीं माना जा सकता है, जैसा कि बाद में आरोप लगाया गया है;

20.5 उपरोक्त परिस्थितियों में, इस न्यायालय की राय में, बलात्कार जैसे अपराध का महत्वपूर्ण पहलू जैसेकि 'बाध्यता' के विपरीत 'सहमति' के लिए अधिक सूक्ष्म विचार की आवश्यकता होती है। हालांकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि बल, जबरदस्ती या दबाव के तहत दी गई सहमति कानून में कोई सहमति नहीं है क्योंकि यह स्वतंत्र या स्वैच्छिक नहीं है, कई मामलों में सहमति की अधिक व्यापक तरीके से जांच करना आवश्यक है, इस जागरूकता के साथ कि सहमति की पर्याप्तता कई अन्य परिस्थितियों से भी प्रभावित हो सकती है जो पसंद की स्वतंत्रता को कम करने वाली हो सकती हैं।

भावनात्मक शोषण सहित कई परिस्थितियाँ, सहमति की वास्तविकता को समाप्त कर सकती हैं;

20.6 अभियोक्त्री की 'किसी स्थिति के लिए सहमति' बनाम 'यौन संबंध के लिए सहमति' के बीच एक अंतर को भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है। केवल इसलिए कि अभियोक्त्री किसी पुरुष के साथ रहने के लिए सहमति देती है, चाहे वह कितने भी समय के लिए क्यों न हो, यह अनुमान लगाने के लिए आधार बिलकुल नहीं हो सकता है कि उसने पुरुष के साथ यौन संपर्क के लिए सहमति भी दी थी। वर्तमान मामले में, केवल इसलिए कि अभियोक्त्री याचिकाकर्ता के साथ अंतिम संस्कार और रस्म करने के उद्देश्य से विभिन्न पवित्र स्थानों पर जाने के लिए सहमत हुई - इसका यथातथ्यतः अर्थ यह नहीं है कि उसने उसके साथ यौन संबंधों के लिए सहमति दी;

20.7 प्राथमिकी के पंजीकरण में देरी को उसी आधार पर स्पष्ट करने की मांग की गई है, अर्थात् अभियोक्त्री की भावनात्मक रूप से कमजोर स्थिति, साथ ही यह तथ्य कि वह विदेशी स्थानों और परिस्थिति में थी जहां उसे परिणामों का डर था यदि उसने पुलिस में शिकायत की थी;

20.8 यह मानते हुए कि यौन संबंध एक समयावधि में हुए हैं, चिकित्सीय साक्ष्य का अभाव भी किसी न किसी रूप में मामले का निस्तारण नहीं है;

20.9 अभियोक्त्री चेक गणराज्य में वापस आ गई है या नहीं आखिरी स्पष्ट नहीं है क्योंकि सुनवाई की पिछली तारीख पर वह दक्षिण भारत में एक जगह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुई थी। किसी भी मामले में, चाहे वह अपने वतन लौटना चाहती है या नहीं, यह उसे तय करना है;

20.10 यहां तक कि अन्य महत्वपूर्ण गवाह रादका, जिसे चेक नागरिक बताया जाता है, को अभी न्यायालय में पेश होना है।

21. न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामले में, विशेष चिंता का एक पहलू यह है कि आरोप याचिकाकर्ता की ओर से धोखे और छल का खुलासा करते हैं, एक 'पवित्र व्यक्ति' होने का नाटक करते हुए एक विदेशी नागरिक को उसके पति की मृत्यु के बाद के पवित्र अनुष्ठानों में मार्गदर्शन कर रहा हैं। वास्तव में यह याचिकाकर्ता का अपना पक्ष प्रतीत होता है कि वह अभियोक्त्री को मृत्यु के बाद के अनुष्ठानों के लिए प्रयागराज, बनारस और गया ले गया। इस स्तर पर हालांकि, यह न्यायालय फिर से आश्वस्त नहीं है कि याचिकाकर्ता ऐसे ही छल और कपट का अभ्यास करके न्याय के मार्ग में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अभियोक्त्री और उसका मुख्य गवाह चाहे भारत में हों या विदेश में, याचिकाकर्ता द्वारा उन्हें डराने या प्रभावित करने के प्रयास से इंकार नहीं किया जा सकता है।

22. उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए, यह न्यायालय याचिकाकर्ता को इस स्तर पर नियमित जमानत देने के लिए राजी नहीं है। तदनुसार,

जमानत याचिका खारिज की जाती है; हालांकि याचिकाकर्ता को अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों के बयान पूरे होने के बाद उसी राहत के लिए फिर से निचली न्यायालय में आवेदन करने की स्वतंत्रता दी गई है।

23. इस आदेश में लंबित मामले के गुण-दोष के आधार पर कुछ भी राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।

24. याचिका का निपटान किया जाता है।

25. अन्य लंबित आवेदनों, यदि कोई हों, का भी निपटान किया जाता है।

न्या.,अनूप जयराम भंभानी

14 मार्च, 2023/यूजे/एनई

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*